

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/मा/लेखा/डी-2/28001/20-21/

दिनांक: 25.08.2020

समस्त संयुक्त निदेशक,
स्कूल शिक्षा परिक्षेत्र,

विषय:- अनुपयोगी/नाकारा स्टोर्स निस्तारण अभियान ।

प्रसंग:- प.6 (1) वित्त/साविलेनि/2005 पार्ट-1 जयपुर दिनांक 20.07.2020 एवं इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक 23.07.2020

उपर्युक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम अनुभाग के प्रासंगिक परिपत्र द्वारा अनुपयोगी/नकारा सामान के निस्तारण की अभियान अवधि 31.03.2021 तक बढ़ाई गई है । इस क्रम में लेख है कि इस कार्यालय के पत्र क्रमांक शिविरा/माध्य/लेखा/डी-2/28001/19-20 दिनांक 18.06.2020 द्वारा अनुपयोगी/नकारा सामान निस्तारण के सम्बन्ध में जारी किये गये दिशा निर्देशों एवं प्रासंगिक वित्त विभाग के परिपत्र के द्वारा दिये गये शिथिलन को ध्यान में रखते हुए ही नकारा/अनुपयोगी सामान निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

नकारा/अनुपयोगी सामान से भरे हुए कक्षाकक्ष खाली कराने का लक्ष्य माह अगस्त तक शत प्रतिशत कराने के निर्देश इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 18.06.2020 द्वारा दिये गये थे । अतः दिनांक 01.04.2020 से 31.07.2020 तक नकारा सामान के निस्तारण की प्रगति रिपोर्ट जिलेवार निम्नांकित प्रपत्र में संयुक्त निदेशक कार्यालय स्तर पर सूचना समेकित की जाकर जिलेवार रिपोर्ट दिनांक 31.08.2020 तक ई-मेल caosecedu@gmail.com पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें ।

क्र. सं.	जिला कार्यालय का नाम	दिनांक 01.04. 2020 को नकारा सामान से भरे हुए		दिनांक 02.04. 2020 से 31.07. 2020 तक नकारा सामान से भरे हुए		योग		दिनांक 31.07. 2020 तक निस्तारण से खाली हुए		खाली होने से शेष रहे		नीलामी से प्राप्त आय
		स्कूलों की संख्या	कमरों की संख्या	स्कूलों की संख्या	कमरों की संख्या	स्कूलों की संख्या	कमरों की संख्या	स्कूलों की संख्या	कमरों की संख्या	स्कूलों की संख्या	कमरों की संख्या	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

संलग्न: परिपत्र की छायाप्रति



वित्तीय सलाहकार,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक:शिविरा/माध्य/लेखा/डी-2/28001/20-21/

दिनांक: 25.08.2020

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा ।
3. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, बीकानेर/अजमेर ।
5. समस्त प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक राउमावि, रामावि ।
6. प्रधानाचार्य सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर
7. सिस्टम एनालिस्ट कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।


वित्तीय सलाहकार,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर